सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{\text{01 श्रावण, 1946 (श०)}}{\text{23 जुलाई, 2024 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1)	शिक्षा विभाग	-	01
(2)	परिवहन विभाग	-	01
(3)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	-	01
(4)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	-	01
		कुल योग --	04

रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करना

1. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 जून, 2024 के अंक में प्रकाशित खबर के शीर्षक ''वैज्ञानिक विधि से ई-कचरा निपटारे को सूबे में एक भी प्लांट नहीं'' के आलोक में क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 7 श्रेणियों में ऐसे 106 तरह के अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ई-कचरा के रूप में चिह्नित किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में वैज्ञानिक विधि से ई-कचरा निपटारे के लिये एक भी प्लांट नहीं है, जिसके कारण ई-कचरा को रीसाइक्लिंग के लिये दूसरे राज्यों में भेजा जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में वैज्ञानिक विधि से ई-कचरा निपटारे के लिये प्लांट स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

एन0ओ0सी0 निर्गत करना

2. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के पत्रांक आर.टी-11036/170/2021-एम0वी0एल0, दिनांक 19 जनवरी, 2024 द्वारा बिहार राज्य सहित सभी राज्य के मुख्य सचिव और परिवहन आयुक्त को निर्देश जारी किया गया है कि स्टेट मोटर वेहिकल टैक्सेशन ऐक्ट के अनुसार राज्य में निबंधित गाड़ियों के निबंधन सरेंडर कर एन0ओ0सी0 लेने पर शेष वर्षों के टैक्स का रिफंड के लिये एक समय-सीमा निश्चित की जाये ताकि वाहन मालिकों को परेशानी न हो ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त निर्देश के बावजूद राज्य में टैक्स रिफंड के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक राज्य में निबंधित वाहन मालिकों को एन0ओ0सी0 निर्गत करने के साथ-साथ टैक्स रिफंड करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण का लाभ

3. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 मई, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''बाहरी अभ्यर्थियों को भी मिल गया आरक्षण का लाभ'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम और दूसरे चरण में दूसरे राज्यों की महिलाओं और दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ दिया गया है जबकि बिहार अधिनियम-3, 1992 के अधीन राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के बाहर के महिला और दिव्यांगों को शिक्षक भर्ती में उक्त नियम की अनदेखी करने वाले पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई करने तथा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कौन-से कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आश्रितों को सहायता देना

4. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ0जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जन-जाति परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या हो जाने पर आश्रित को नौकरी/सहायता राशि/पेंशन आदि देने का प्रावधान है, जिसके तहत केवल पुरूष के मामले में ही पीड़ित परिवार के आश्रितों को सहायता दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार महिला कमाऊ सदस्य की हत्या की स्थिति में उनके आश्रितों को सहायता देने का कबतक निर्णय लेने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 23 जुलाई, 2024 (ई0) ।

राज कुमार,
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 18(एल0ए0), 2024-25-डी0टी0पी0-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024